न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 230/2016

सुमित्रा आदि

बनाम

सायर सिंह आदि

दावा– घोषणार्थ, विभाजन व
रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

वकील अप्रार्थी (वादी) : श्री आनन्दीलाल सैनी
वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) : श्री चन्द्रकांत शर्मा

आदेश

दिनांक :– 25.01.2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम गोठडा की तन में भूमि खसरा नम्बर 88, 157, 851, 1211, 476, 866, 881, 891, 894, 900, 909, 910, 987, 988, 989 व 1378/555 बाबत उक्त वाद पेश किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान औधोगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रिको) द्वारा श्री सीमेन्ट लिमिटेड के सीमेन्ट माइन्स की स्थापना हेतु विधिवत अवाप्त की जा चुकी है। उक्त भूमि की अवाप्ति बाबत उधोग ग्रुप ए द्वारा धारा 4 भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के तहत अधिसूचना दिनांक 17.03.2008 को जारी की गई, उक्त अधिसूचना का राजपत्र में दिनांक 17.03.2008 को प्रकाशन किया गया, फिर अधिसूचना के संबंध में आपतियों का निस्तारण कर धारा 5ए में रिपोर्ट उप शासन सचिव उधोग विभाग को प्रेषित की गई। अवाप्ति हेतु अधिसूचना अन्तर्गत धारा 6 भूमि अवाप्ति अधिनियम 15.04.2009 को जारी की गई, जिसका प्रकाशन भी 15.04.2009 को कराया गया। अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड राशि निर्धारित की गई, इस प्रकार उक्त भूमि विधिवत रूप से अवाप्त की जा चुकी है, अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा भी अवाप्ति अधिकारी रिको झुन्झुनू द्वारा लिया जा चुका है। उक्त भूमि प्लांट व माईन्स के लिये विधिवत अवाप्त की जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि भूमि नही रही है, वादग्रस्त भूमि औधोगिक क्षेत्र की भूमि हो गई है, इसलिए भी खातेदार या व्यक्ति के अधिकार शेष नही रहे है। विवादित भूमि रिको की अवाप्तशुदा औधोगिक भूमि है, जिसके बाबत वाद सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय को नही है इसलिए उक्त वाद बार्ड बाई लॉ है व खारिज होने योग्य है।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थी की प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को अवाप्त नही किया गया है, उपरोक्त वर्णित भूमि में से कुछ ही भूमि को अवाप्त अवश्य किया गया है वादी भूमि की अभी भी खातेदार काश्तकारों के नाम दर्ज है जिसमें शेष बची भूमियों जो कि वर्तमान में खातेदार काश्तकारों के नाम से दर्ज है उक्त भूमि के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार वादीगण का हमेशा सुरक्षित है। उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ में वादीगण अपने हक व अधिकार हेतु कभी भी दावा प्रस्तुत कर सकते है जिसकी सुनवाई करने का अधिकार माननीय न्यायालय एवं सभी राजस्व न्यायालय को जाता है। प्रतिवादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पूर्ण रूप से अवलोकन एवं अध्ययन किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त [illegible]

प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना [illegible] वाद खारिज [illegible] के [illegible] में जो तथ्य अंकित किये है व किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम [illegible] है और [illegible] ही प्रतिवादीगण के उपरोक्त वर्णित खसरों के आधार पर दावा आदेश [illegible] सीपीसी के तहत खारिज किया [illegible] सकता है। वर्तमान में प्रकरण के प्रतिवादी द्वारा भूमि अवाप्त [illegible] के सन्दर्भ में जो तथ्य अंकित [illegible] है वह पूर्णतया अस्पष्ट एवं अनुमानित तथ्यों के आधार पर आधारित है। प्रार्थना पत्र में कही पर भी यह अंकित नही किया गया कि किसी खसरा नम्बर की कौन–कौन सी भूमि एवं कितनी भूमि अवाप्त की गई है, उक्त तथ्य के आधार पर दावे का इस स्टेज पर निस्तारण किया जाना सम्भव नही है उपरोक्त विवाद के सन्दर्भ में नियमानुसार जवाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है।

ए. सी. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

प्रतिवादी ने अभी तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है तथा वादी के दावे को न तो स्वीकार किया है न ही पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है जबकि वर्तमान प्रकरण में सम्बन्धित भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं वाद-पत्र से सम्बन्धित भूमि में हित रखते है जिससे वर्तमान दावे का निस्तारण कानूनन पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के पश्चात ही किया जा सकता है केवल अनुमानित तथ्य प्रतिवादी द्वारा तथ्य कथित कथनों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना किसी भी प्रकार से न्याय हित में नही है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान बगौर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम गोठडा में स्थित है जो कि सारी भूमि श्री सीमेन्ट माईन्स के लिए आदेश दिनांक 17.03.2008 के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि है। सम्पूर्ण भूमि की किस्म भूमि श्री सीमेन्ट के लिए अवाप्त होने से कृषि नही रही है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नही होने के कारण उक्त वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है जो कि बार्ड बाई लॉ है।

जवाब बहस में वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र की तथ्यों की पुनरावृति की गई तथा कथन किया कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि श्री सीमेंन्ट में अवाप्त नही हुई है। कुछेक खसरा नम्बर का कुछ हिस्सा ही अवाप्त हुआ है। शेष भूमि खातेदारों के के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदारी काश्तकारी की भूमि के वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। राजस्व भूमि में खातेदारों के अधिकार सुरक्षित रहते है, वादी कभी भी वाद ला सकते है। प्रार्थी अधिवक्ता ने दावा के बिना अवलोकन के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया किया गया। उपरोक्त खसरा नम्बरो के वाद को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में खारिज नही किया जा सकता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अवाप्ति के संबंध में कोई भी तयि स्पष्ट अंकित नही किए है। अनुमानित तथ्यों के आधार पर ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र उचित नही है। प्रार्थना पत्र में कोनसी भूमि अवाप्त है यह कही प्रार्थना पत्र में वर्णित नही किया गया है। प्रकरण में जवाब आ चुका है प्रकरण वर्तमान में तनकी बनकर शहादत वादी की प्रक्रम पर है। वाद में जो भी साबित होनो साक्ष्य आने से तय हो जायेगा कि कौनसे खसरा नम्बर एवं कितनी भूमि अवाप्तशुदा भूमि है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश नही किया गया है। प्रार्थना पत्र में स्थिति स्पष्ट नही है। प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही है।

जवाब बहस में वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी की बहस का विरोध प्रकट करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबे का अंकन किया गया है। वादी ने अपने वाद/प्रार्थना पत्र के जवाब में स्पष्ट नही किया गया कि कौनसे खसरा नम्बर के कौनसा हिस्सा अवाप्तशुदा नही है। अवाप्तशुदा भूमि के संबंध मे सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। विवादग्रस्त भूमि अवाप्तशुदा होने से भूमि कि किस्म कृषि नही रही है। दावा में विवादग्रस्त भूमि कि किस्म कृषि नही होने से वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। दावा खारिज होने योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नजीर आर.आर.डी. 2014 पेज नम्बर 604 प्रस्तुत की है। जिसमें कृषि भूमि के ही वाद को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार फरमावे तथा वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील पक्षकारान का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा:-

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और ... मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:51 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी. ... (... ...)
नवलगढ

विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम गोठडा की तन में भूमि खसरा नम्बर 88, 157, 851, 1211, 476, 866, 881, 891, 894, 900, 909, 910, 987, 988, 989 व 1378/555 बाबत उक्त वाद पेश किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान औधोगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रिको) द्वारा श्री सीमेन्ट लिमिटेड के सीमेन्ट माइन्स की स्थापना हेतु विधिवत अवाप्त की जा चुकी है। उक्त भूमि की अवाप्ति बाबत उधोग ग्रुप ए द्वारा धारा 4 भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के तहत अधिसूचना दिनांक 17.03.2008 को जारी की गई, उक्त अधिसूचना का राजपत्र में दिनांक 17.03.2008 को प्रकाशन किया। अधिसूचना के संबंध में आपतियों का निस्तारण कर धारा 5ए में रिपोर्ट उप शासन सचिव उधोग विभाग को प्रेषित की गई। अवाप्ति हेतु अधिसूचना अन्तर्गत धारा 6 भूमि अवाप्ति अधिनियम 15.04.2009 को जारी की गई, जिसका प्रकाशन भी 15.04.2009 को कराया गया। अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड राशि निर्धारित की गई, इस प्रकार उक्त भूमि विधिवत रूप से अवाप्त की जा चुकी है, अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा भी अवाप्ति अधिकारी रिको झुन्झुनू द्वारा लिया जा चुका है। उक्त भूमि प्लांट व माईन्स के लिये विधिवत अवाप्त की जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि भूमि नही रही है, वादग्रस्त भूमि औधोगिक क्षेत्र की भूमि हो गई है, इसलिए भी खातेदार या व्यक्ति के अधिकार शेष नही रहते है। विवादित भूमि रिको की अवाप्तशुदा औधोगिक भूमि है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 2014 पेज नम्बर 604 इस प्रकरण पर सुसंगत है एंव चस्पा होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(3), 16(6), 207, 215, 217 के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम के तहत भूमि आवाप्ति के पश्चात खातेदारी अधिकारों हेतु वाद राजस्व न्यायालय में नही चल सकता तथा अवाप्ति के पश्चात भूमि सार्वजनिक उपयोग की बन जाती है तथा खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते ओर काश्तकारी समाप्त हो जाती है। प्रतिकर एवं स्वत्व के संबंध में विवाद के मामले में सिविल न्यायायल में दीवानी वाद दायर कर धारा 18 एव धारा 30 व 31 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। तद्नानुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 17.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयन्ती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:24:51 IST
Reason: SelfAttested